UPRN010005182026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

उपस्थित–रविन्द्र सिंह, एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी संख्या–32 सन 2026

1– जीतेन्द्र उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र पुत्र छुन्नू कश्यप

2– छुन्नू कश्यप उम्र लगभग 56 वर्ष पत्नी स्व० मातादीन

3– प्रमिला कश्यप उम्र लगभग 51 वर्ष पत्नी छुन्नू कश्यप

निवासीगण ग्राम भरतपुर पियासी, थाना गजनेर, जिला कानपुर देहात।

–––––निगरानीकर्तागण।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल कानपुर देहात।

2– श्रीमती पिंकी कश्यप पत्नी जीतेन्द्र कश्यप पुत्री राजेश कश्यप उम्र लगभग 21 वर्ष निवासिनी ग्राम शादीपुर, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर।

–––––––विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–438 व 440 के अन्तर्गत निगरानीकर्तागण जीतेन्द्र आदि ने परिवाद संख्या–666/2025, पिंकी कश्यप बनाम जीतेन्द्र कश्यप आदि, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के प्रकरण में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, कानपुर देहात द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**11.12.2025** के विरूद्ध संस्थित किया है जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्तागण को धारा 498A, 323, 504 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया है।

2. इस दाण्डिक निगरानी को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी/विपक्षी संख्या–2 पिंकी कश्यप द्वारा परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसका विवाह दिनांक 12.02.2024 को जीतेन्द्र कश्यप के साथ सम्पन्न हुई थी जिसमें मायके वालों ने सामर्थ्यनुसार दान–दहेज दिया था परन्तु दिये गये दान–दहेज से ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल व दो भैंस की माँग करते थे और इसी माँग को लेकर उसे बराबर शारीरिक व मानसिक रूप से

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.06.19 16:43:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रताड़ित करते रहे तथा गाली–गलौज कर उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर उसके पति ने उसे गाँव के बाहर छोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 15.06.2024 को परिवादिनी को जान से मारने की नियत से जहर की शीशी लेकर उसके मायके पहुँचा किन्तु उसे मौका नहीं मिला। दिनांक 07.01.2025 को जब वह अपने पिता के साथ कचेहरी से घर लौट रही थी तभी उसके पति, सास व ससुर उसे गाली–गलौज करते हुए मारापीटा।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० एवं धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत साक्षीगण का बयान अंकित किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.12.2025 द्वारा निगरानीकर्तागण जीतेन्द्र, छुन्नू कश्यप एवं प्रमिला कश्यप को धारा 498A, 323, 504 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

4. निगरानीकर्तागण ने निगरानी में यह आधार लिया कि आक्षेपित आदेश विधिविरूद्ध एवं गैरकानूनी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सही आंकलन नहीं किया है। परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में स्पष्ट कहा है कि उससे ससुरालवाले दहेज की माँग नहीं करते थे और जब भी उसका पति फोन करता था उसने फोन नहीं उठाया। धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षीगण परिवादिनी के परिवारीजन है। पी०डब्लू०–1 व 2 ने अपने बयानों में पिंकी को उसके पति, सास व ससुर द्वारा माती तिराहे पर मारपीट करने का कथन किया है और पी०डब्लू०–3 विनय ने भी मारने पीटने का कथन किया है परन्तु किस स्थान पर मारपीट हुई है और किस–किस व्यक्ति ने देखा है, इसका कोई उल्लेख बयानों में नहीं आया है और न ही कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है। सम्पूर्ण घटना झूठी है। परिवादिनी द्वारा उक्त घटना माती तिराहे की बतायी गयी है जिसका क्षेत्राधिकार अकबरपुर कानपुर देहात का बनता है। परिवादिनी द्वारा एक ही घटना से संबंधित दो अलग–अलग क्षेत्राधिकारों में प्रेषित किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विपक्षी संख्या–2/परिवादिनी की ओर से 5 क आपत्ति प्रस्तुत कर निगरानी मेमो में किये गये अधिकांश कथनों से इन्कार करते हुए परिवादपत्र में किये गये कथनों को दोहराया है और कथन किया है कि परिवादिनी एवं उसके साक्षीगण ने अपने–अपने बयानों में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। माती तिराहे पर हुई घटना के बावत उसने थाना अकबरपुर में प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। आक्षेपित आदेश पूर्णतया कानूनी एवं विधिक है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. बहस के स्तर पर निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये।

अतः विपक्षी संख्या–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी विपक्षी संख्या–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

9. निर्णयज विधि **अमित कपूर प्रति रमेश चन्द्र {2012} 9 एस सी सी 460** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को निगरानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहाँ पर

01.जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी हो, वह बिल्कुल गलत है,

02.विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और

03.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिया गया है,

04.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

05.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णयज विधि से स्पष्ट है कि निगरानी न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही सीमित है। निगरानी न्यायालय को यह देखना है कि प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तो नहीं है और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि तो नहीं की गयी है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि प्रश्नगत आदेश औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं?

10. चूंकि प्रस्तुत मामले में परिवादिनी/विपक्षी संख्या–2 की ओर से यह तथ्य रखा गया है कि शादी के बाद ससुरालीजन दिये गये दान–दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुये और अतिरिक्त दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल व दो भैंस की माँग करने लगे और इसी माँग को लेकर परिवादिनी को गाली–गलौज कर तरह–तरह से शारीरिक व मानसिक रूप प्रताड़ित किया तथा जब वह कचेहरी से वापस लौट रही थी तो माती तिराहे पर उसके पति, सास व ससुर द्वारा उसे गाली–गलौज कर मारने पीटने का तथ्य रखा गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा परिवादिनी एवं समर्थन में प्रस्तुत साक्षियों का बयान अंकित कराये गये। बयान अन्तर्गत धारा 223 व 225 बी०एन०एस०एस० पर विचार करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण/निगरानीकर्तागण को उल्लिखित धाराओं में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त पाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। यह सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि जहाँ परिवाद में किये गये कथनों और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य से न्यायालय का समाधान हो जाये कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त/अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है तो वह धारा 227 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत आदेशिका जारी करने का आदेश पारित कर सकती है। यह भी सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि न्यायालय को प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य का गहराई से मूल्यांकन किया जाना सही नहीं है। इस प्रकार यह न्यायालय की विवेकीय शक्ति है और इसका प्रयोग प्रत्येक

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में भी विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष उल्लिखित किया गया है कि प्रथम दृष्टया साक्षीगण के बयानों के आधार पर निगरानीकर्तागण को उल्लिखित धाराओं में तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है। जहां तक निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी में जो आधार लिये गये है, उस पर विचार करें तो दौरान जांच/विचारण निगरानीकर्तागण अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी निगरानीकर्तागण निगरानी पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं आये।

11. इस प्रकार प्रस्तुत मामले में उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। निगरानी में कोई बल नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

12. दाण्डिक निगरानी संख्या–32/2026 निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.12.2025 सम्पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय/आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–19.06.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित होकर सुनाया गया।

दिनांक–19.06.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003